

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या :- 4/प्रो0-03-101/2014पटना-15, दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संलग्न कार्यालय (स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय तथा आयोग) के नियमित स्थापना में कार्यरत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नलिखित निम्नवर्गीय लिपिकों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या- 19300 दिनांक- 13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) एवं विभागीय पत्रांक- 6807 दिनांक- 16.04.2026 के आलोक में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद उच्चवर्गीय लिपिक, वेतन स्तर- 4 का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र0	निम्नवर्गीय लिपिक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1	2	3
1	श्री राजीव कुमार, व0क्र0- 03	मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय
2	श्रीमती रंजना कुमारी, व0क्र0- 04	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

- कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
- कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या- 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।
- उक्त में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 4/प्रो0-03-101/2014पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा- 09/लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।